(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एस0एस0अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 948–एक/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.2.09 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 30/अपील/2006–07.

देवकरण पिता नन्नू चौकीदार
निवासी ग्राम बोरी तहसील बुधनी
वर्तमान रेहटी जिला सीहोर म0प्र0

--- आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

--- अनावेदक

आवेदक अधिवक्ता श्री मेहरबान सिंह
शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25–10–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 30/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2-प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ग्राम बोरी के चौकीदार के पद पर नियुक्त है। नायब तहसीलदार टप्पा रेहटी द्वारा तथाकथित शिकायत के आधार पर आवेदक के विरूद्ध प्रकरण कमांक 3/अ-56/2005-06 पंजीबद्ध किया जिसमें पारित आदेश दिनांक 12.06.2006 द्वारा चौकीदार के पद से पृथक कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी जिला सीहोर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 12/अपील/05-06 में पारित आदेश दिनांक 9.6.2006 द्वारा आवेदक की अपील निरस्त की गई, इसी से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 30/अपील/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 25.2.2009 द्वारा निरस्त की गई। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 6.9.2013 को जारी किया गया किन्तु उसके साथ शिकायत पत्र की प्रति नहीं दी गई। गामवासियों द्वारा शिकायत करने का उल्लेख किया गया हैं प्रकरण में ग्रामवासी रामविलास यादव, रंगलाल, पूरन आदि के कथन कराये गये किन्तु उसे प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया। प्रकरण में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये किन्तु उनके प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि दिनांक 15.9.04 को प्रतिपरीक्षण हेतु आवेदन भी दिया गया किन्तु आवेदक के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश पारित किया गया । पुलिस थाने से प्रार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत न होना अंकित किया गया एवं ग्राम

पंचायत द्वारा भी कोई शिकायत नहीं होने का प्रमाण दिया गया हैं इन पर ध्यान न देकर चौकीदार के पद से पृथक कर दिया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आवेदक अपनी सेवा भूमि शिकायतकर्ता श्री अमित चौहान पुत्र श्री नागेन्द्र सिंह चौहान निवासी ग्राम बोरी को फसल लाभ हेतु न देने के कारण रंजिशवश कुछ ग्राम वासियों को साथ लेकर तहसील में शिकायत की एवं चौकीदार के पुत्र को फसाने के लिये उसके खिलाफ भी थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसके लड़के को न्यायालय द्वारा निर्दोष मानते हुये बरी कर दिया गया। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि प्रस्तुत जबाव एवं सरपंच तथा ग्रामवासियों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र को नजर अंदाज करते हुये चौकीदार को इतना कठोर दण्ड से दण्डित करने में गंभीर भूल की है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के अलोच्य आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योगय हैं। अंत में उनके द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक लगातार बगैर किसी शिकवा शिकायत के निष्ठापूर्वक पंचायत, थाना, तहसील, चुनाव आदि में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुये सौंपे गये कार्यो को संपादित कर रहा है। जिसकी छाया प्रति अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे।

4- आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा संलग्न प्रकरण में अभिलेखों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों पर बल दिया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में बिन्दु उल्लेख किये गये हैं।

5- मेरे द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ कमांक 1 एव 2 पर शिकायत संलग्न है, जो अमित सिंह चौहान द्वारा की गई है उसमें किसी भी ग्रामवासी के हस्ताक्षर नहीं है। अभिलेख देखने से पाया गया कि सरपंच ग्राम पंचायत बोरी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है जिसमें ग्रामबासी जमोनिया, ग्रामबासी बारदा, ग्राम पटेल बारदा, एवं ग्राम पंचायत बोरी के ग्रामवासियों के लगभग 21 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं और उनके द्वारा प्रमाण पत्र में लेख किया गया है कि देवकरण पुत्र नन्नूलाल निवासी बोरी तहसील बुदनी जिला सीहोर का मूल निवासी है चोकीदार देवकरण शासकीय समस्त कार्य नित प्रति दिन पूर्ण कार्य करता है। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि अमित सिंह चौहान पुत्र श्री नगेन्द्र सिंह चौहान ग्राम बोरी तहसील बुदनी जिला सीहोर द्वारा झूठी निराधार असत्य मनगंढत शिकायत की है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूॅ कि अमित सिंह चौहान की शिकायत द्वैष भावना से की गई है क्यों कि वह चौकीदारी सेवा भूमि को वह बटाई पर कराता था लेकिन उसने भूमि वापस लेने पर उसके द्वारा शिकायत की है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है कि उसके द्वारा विभिन्न कार्यो में अपनी सेवायें दी गई हैं, जिसमें थाना प्रभारी पिपलिया द्वारा 15.8.07 को उपस्थित हुआ, की रिपोर्ट दी है। दिनांक 16.8.07 को बी0एल0ओ0 के हस्ताक्षर हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि फोटो परिचय पत्र संबंधी कार्य में सहयोग किया की रिपोर्ट लगी है। दिनांक 11.10.07 की रिपोर्ट कैलाश चन्द्र बघेल पशु चिकित्सालय रेहटी की रिपोर्ट है कि चौकीदार देवकरण के साथ पशु गणना की गई। इसी प्रकार दिनांक 19.11.07 की रिपोट अंकित है

कि चौकीदार के सहयोग से बाल संजीवनी अभियान में बच्चो को वजन का कार्य एवं विटामिन ''ए'' की दवा पिलाई गई। इन सब दस्तावेजों का अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवलोकन किये एवं विचार किये बिना त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों नायब तहसीलदार बुदनी का प्रकरण क्रमांक 3/अ-56/05-06 में पारित आदेश दिनांक 12.6.06, अनुविभागीय अधिकारी बुदनी का प्रकरण क्रमांक 12/अपील/05-06 में पारित आदेश दिनांक 9.10.06 एवं अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल का प्रकरण क्रमांक 30/अपील/06-07 में पारित आदेश दिनांक 25.02.09 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामस्वरूप आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रकरण दा0 दर्ज0 हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर